

विज्ञापित संशोधन

समाज कल्याण विभाग द्वारा “दिव्यांग छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा हेतु निःशुल्क ऑनलाईन कोचिंग” योजनान्तर्गत निदेशालय के पत्रांक : 3099 दिनांक 15.12.2025 द्वारा प्रकाशित विज्ञापित में दिव्यांग कोचिंग हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के लिए भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान राजपुर रोड देहरादून की तर्ज पर सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय रु. 2.00 लाख के स्थान पर रु. 8.00 लाख संशोधित की जाती है। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(डॉ० संदीप तिवारी)
निदेशक

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी-नैनीताल।

पत्रांक 3128/स0क0/निःशुल्क कोचिंग योजना-दिव्यांगजन/2025-26 दिनांक 16 दिसम्बर 2025
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विज्ञापन व्यवस्थापक, दैनिक जागरण/अमर उजाला/ हिन्दुस्तान, हल्द्वानी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञापित अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में दोनों मण्डलों में प्रकाशित पृष्ठ पर शासकीय दरों पर प्रकाशित कराते हुए भुगतान हेतु बिल जिला सूचना अधिकारी की संस्तुति सहित निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. कार्यालय प्रति।

(ब्रह्मदेव अग्रवाल)
उप निदेशक।

4. नोडल अधिकारी, आई0टी0सैल, समाज कल्याण, देहरादून को इस आशय के साथ के उक्त विज्ञापित को विभागीय वेबसाइट में अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(पूजा नेगी)
मुख्य वित्त नियन्त्रक,
कृते निदेशक।